भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA
बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR OF CENSUS OPERATIONS, BIHAR
बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राज पथ, पटना 800 004
Bihar State Co-Operative Bank Bhawan, Ashok Raj Path, Patna-800 004
Phone No. 0612-2675929, 2675672, Fax-0612-2675049 Email dco-bih.rgi@censusindia.gov.in

2011

पत्रांक डी. 11012 /1/2011 -1905 दिनांक -17/8/2011

निविदा आमंत्रित

विषयः– बिहार राज्य भंडार निगम, बाजार समिति, फतुहा, पटना, स्थित जनगणना कार्यालय के गोदाम में सफाई की व्यवस्था हेतु वर्ष 2011–2012 के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि **बिहार राज्य भंडार निगम, बाजार समिति, फतुहा, पटना, स्थित जनगणना कार्यालय के गोदाम** 30,000 वर्गफीट की सफाई नियमित रूप से सफाई की व्यवस्था करने हेतु वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए निम्नलिखित शर्तें के कम में निविदा दर प्रस्तुत किया जाए ताकि भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली से कार्य की स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

(अ) प्रतिदिन सफाई कार्य किये जाने संबंधी विस्तृत ब्यौराः–

1. स्कैनर कक्ष की साफ–सफाई, एवं पोंछा लगाया जाना है।
2. शौचालयों/यूरीनलों के फर्श तथा इसमें लगे वाश बेसिन/यूरीनल बेसिन की सफाई किया जाना है।
3. सभी प्रकार के लकड़ी के उपस्करों तथा मेजों, कुर्सियॉ, रैक्स, मेजों के उपर रखे शीशे, विभिन्न प्रकार की आलमारियों तथा पार्टिशनों की सफाई की जानी है। सभी स्टील रैक्स एवं रैक्स पर रखे कार्टून की झाड़–पोछ की जानी है, ताकि उस पर गंदगी न जमे।
4. विभिन्न प्रकार के कार्यालय उपकरणों यथा प्रिन्टर्स, कम्प्यूटर मॉनीटर्स, स्कैनर एवं अन्य प्रकार के कम्प्यूटर उपकरणों, वातानुकूलन यंत्रों तथा कूलर्स आदि की साफ–सफाई वैक्यूम क्लीनर द्वारा की जानी है।
5. कार्यालय परिसर में यदि मृत जानवर तथा सर्प, मधुमक्खी के छते, चूहा, छिपकली, मकड़ी के जाले एवं अन्य कीड़े–मकोड़े आदि पाये जाते हैं तो उसे हटाकर साफ–सफाई की जानी है।
6. सभी प्रकार के लकड़ी/अल्यूमिनियम/स्टील के दरवाजों, खिड़कियों तथा उनके शीशों की सफाई तथा पोछाई (लिक्विड डिटर्जेंट से) की जानी है।
7. विघुत उपकरणों यथा स्विच बॉक्स, स्टेबिलाईजर्स, पंखें, टयूब लाईट सेट एवं बल्बों पर लगे धूल आदि की तरल एवं सूखी सफाई करनी है।
8. कार्यालय परिसर के अन्दर जमा कूड़े को कार्यालय प्रभारी द्वारा बताये जाने के उपरान्त उसकी सफाई अविलम्ब किया जाना है।
9. प्रभारी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान साफ–सफाई में पायी गयी कमियों को तुरंत फिनाईल, एसिड, साबून के पानी, एयर फ्रेशनर, नेप्थलीन बॉल, कॉलीन स्प्रे द्वारा समुचित सफाई की जानी है।
10. कारपेट बिछे फर्श के अतिरिक्त शेष को धोने के अच्छे किस्म के डिटर्जेंट द्वारा साफ–सफाई/पोछा लगाना है।
11. शौचालय के मोजेक टाईल्स की सफाई उपर्युक्त डिटर्जेंट/एसिड द्वारा करनी है।

कार्यालय में उचित रख–रखाव हेतु निविदादाता को निम्नलिखित सामग्रियों का प्रयोग करना हैः–

1. तरल साबून
2. फिनाईल
3. एसिड
4. नेप्थलीन बॉल

5. सफाई का पाउडर
6. एयर फ्रेशनर (ओडोनील)
7. भैक्यूम क्लिनर –2
8. सफेद कपड़े का डस्टर
9. शीशा साफ करने वाला तरल पदार्थ
10. पोंछा
11. फ्लोर वाईपर
12. टॉयलेट ब्रश
13. नारियल झाडू
14. फूल झाडू
15. डस्टबीन
16. यूरिनल क्यूब्स
17. अन्य जो सामग्री आवश्यक हों।

उपर्रोक्त कार्य हेतु कम से कम चार कर्मचारियों की सेवाएँ कार्यालय कार्य की अवधि में उपलब्ध करानी है।

(ब) सामान्य शर्तें :–

1. कम्प्यूटर संबंधी कीमती उपकरण कार्यालय में संधारित है जिसकी साफ–सफाई में अत्यंत सावधानी बरती जानी है। साफ–सफाई के दौरान इन उपकरणों में किसी प्रकार की क्षति न हो कि जिम्मेवारी निविदा दाता की होगी।
2. साफ–सफाई के दौरान विशेष ध्यान रखा जाना है कि भारत की जनगणना 2011 के अभिलेख या अन्य किसी कागजातों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचे।
3. एक माह में सफाई कार्य हेतु प्रयुक्त होने वाली सामग्री तथा सफाई उपकरण निविदादाता द्वारा इस कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के पास सुरक्षित भंडार के रूप में रखनी होगी।
4. इस प्रभाग के प्राधिकृत अधिकारी से प्रत्येक माह "कार्य संतुष्टि प्रमाण–पत्र" दिये जाने के उपरांत सफल निविदा दाता को देय राशि का भुगतान किया जाना होगा।
5. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये पूर्णतः या अंशतः रद्द करने का अधिकार निदेशालय, जनगणना परिचालन, बिहार, पटना के पास सुरक्षित है।
6. निविदादाता प्रतिमाह आने वाले सभी खर्चों सहित लेबर खर्च एवं सामग्री खर्च का अलग–अलग उल्लेख करते हुए अपनी निविदा मुहरबंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी के पास दिनांक 29.08.2011 के अपराह्न 3 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे निविदादाताओं अथवा प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जायेगी।
7. निविदादाता को लेवर विभाग / वाणिज्य–कर / सेवा–कर विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा निविदा पैड पर उक्त पंजीकृत संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।
8. मुहरबंद निविदा वाले लिफाफे के उपर साफ–साफ बड़े पठनीय अक्षरों में 'सफाई कार्य हेतु निविदा" अंकित किया जाना चाहिए।

भवदीय,

ह० 17.8.2011

(रमेश प्रसाद)
सहायक निदेशक (का0अ0)
जनगणना परिचालन, बिहार, पटना।